संपादकीय

नोटबंदी का असर : यदि ग्रामीण सहकारी बैंक डूबे तो किसान भी डूब जाएंगे

किसान दशकों से सरकारी नीतियों की असफलता का खामियाजा और दर्द सहते आ रहे हैं तथा वे 500 तथा 1000 रूपऐ के नोटों को बंद करने के सरकारी निर्णय को भी झेलने को तैयार हैं मगर ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निरंतर हो रहे पतन को झेल पाना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा।

पहले ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था: ग्रामीण सहकारी बैंकों की ब्रांचों में कम कीमत के करंसी नोट उपलब्ध नहीं थे जबकि नए उच्च कीमत के नोट शहरों में बैंकों की शाखाओं को जारी किए गए हैं। अब सभी जिला सहकारी बैंकों को खाता धारकों से 500 तथा 1000 रूपऐ के नोट बदलने अथवा स्वीकार न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका बहुत व्यापक असर होगा। अधिकतर छोटे किसानों का वास्ता ऐसे ही बैंकों तथा प्राथमिक कृषि समितियों (पैक्स) से पड़ता है। किसान अपनी कृषि आवश्यकताओं के लिए अधिकांश सीधे ऋणों हेतु टैक्स पर निर्भर करते हैं। संभवतः सरकार ने अपनी अधिसूचना के परिणामों पर ध्यान नहीं दिया।

किसान ऐसी स्थितियों में अपने किसान क्रैडिट कार्ड के माध्यम से लेन–देन करते हैं। नए नियम के तहत वे अपने खुद के खाते में ही धन जमा नहीं करवा पाएंगे मगर बैंक उन्हें दिए गए ऋण पर ब्याज वसूलना जारी रखेगा। सहकारी बैंक जब अपने ऋणों की वसूली करने में असफल हो जाएंगे तो उनका पतन शुरू हो जाएगा। बुआई का मौसम होने के कारण पैक्स स्टोर खादों से भरे पड़े हैं, जिनकी वे नियमों के अंतर्गत अपनी ही किसानों को आपूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पहले के ऋण नहीं चुकाए गए हैं। यहां तक कि पैक्स को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से संचालन की अनुमति नहीं है जिस कारण उनके सामने दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वे क्या करें।

अधिकतर किसानों ने अपनी नकद ऋण सीमा का भी लाभ उठा लिया है जिसे कटाई के समय चुकाना होता है। जब बैंक पेमैंट स्वीकार करने से इंकार करेंगे तो ये जमा खाते बैंक की किताबों में एन.पी.ए. बन जाएंगे। लोगों ने सहकारी बैंकों से अपनी जमा पूंजी को निकालना शुरू कर दिया है और 'अच्छी पूंजी' निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रवाहित होगी जो फिर कभी वापस नहीं लौटेगी। जहां–जहां ग्रामीण सहकारी बैंक की शाखाओं में ऑनलाइन सुविधा है वहां इस कठोर अधिसूचना का असर नहीं होगा।

एक ही झटके से सारे ग्रामीण बैंकिंग लेन–देन को रोक दिया गया है। समस्याएं अपरिहार्य थीं मगर कुप्रबंधन हैरान करने वाला। मुद्रा को बंद करने का समय भी अपने आप में परेशानकुन है।

शोषण करने वाले व्यापारी पुराने नोटों को स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं। दुकानदार पुराने नोटों से चीज खरीदने के लिए कीमत से 30 प्रतिशत अधिक की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों को अपने 500 के नोट को 400 रूपए में बदलने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

बुआई का आदर्श समय लगभग 21 दिन का होता है। रसुखदार किसान संभवतः व्यवस्था कर लें मगर उन्हें भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पडेगी। देरी से बुआई का परिणाम फसल में बहुत गिरावट के रूप में निकल सकता है। इससे भी बढ़कर जो किसान खराब होने वाले फल तथा सब्जियां थोक बाजार में ले जाते हैं, उन्हें नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। दुकानदार तथा रेहड़ी–फड़ी वालों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बिक्री में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और यहां तक कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए 25 प्रतिशत कम कीमत मिल रही है। ट्रक ड्राइवरों को माल की आपूर्ति करने पर कमीशन एजैंट द्वारा भाड़ा चुकाया जाता है जहां वस्तुओं की आपूर्ति दी जाती है। अब सब्जी मंडी में व्यापारी ट्रक ड्राइवरों को पुराने करंसी नोटों से भाड़ा स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिससे ट्रक ड्राइवर इंकार कर रहे हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव होगा।

इस बात की पूरी संभावना है कि नकदी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में एक–तिहाई से भी अधिक लोगों के बैंक खाते नहीं होते। विशेष तौर पर इसका नुकसान ग्रामीण महिलाओं को होता है जिन्हें अपनी बचत का खुलासा अपने पतियों के समक्ष करना पड़ता है। गोपनीय जमा, जो अधिक नहीं होता, को इकट्‌ठा करने में वर्षों लगते हैं। यह असंभव है कि पत्नियों की हजारों की बचत वापस लौट आए। ऐसा दिखाई देता है कि इस नीति के परिणाम लिंग निष्पक्षता वाले भी नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त साहूकार तथा व्यापारी अपने पर निर्भर किसानों को अपने जोखिम पर अपनी पुरानी करंसी जमा करवाने को कह रहे हैं। इससे बहुत रोचक आंकड़े पैदा होंगे जो किसानों के इस धन को काले धन के सबूत में पेश करेंगे जिस कारण उनकी आय पर टैक्स का मामला बनेगा।

एक ऐसा समाज जो अपनी ही करंसी पर विश्वास खो चुका है, एक बहुत खतरनाक स्थिति में है। अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे थमने की ओर बढ़ रही है। अधिकांश जनता यह मानती है कि प्रधानमंत्री का यह बड़ा कदम काले धन की लानत की जड़ों पर प्रहार करने के लिए है और वह अब भी उनका समर्थन करती है। मगर यह एक दौड़ में परिवर्तित हो रहा है। सरकार को धन निकालने अथवा बदलने के लिए बैंकों में लोगों के नकदी उपलब्ध करवानी है।

नेताओं के लिए जिम्मेदार होना जरूरी है मगर आवश्यक नहीं कि एक जिम्मेदार नेता एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हो। अप्रक्रियात्मक तथा गैर जिम्मेदार विपक्ष भी इससे बच नहीं सकता।

दालों पर प्रौद्योगिकी संबंधी वार्तालाप

डॉ० के. रामास्वामी, उप–कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय

भारतीय कृषि पूरे देश को अन्न की आपूर्ति कर रही है और वैज्ञानिकों ने इसे संभव बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि प्रधान उद्योग का परिणाम भी अति सकारात्मक है। किंतु फिर भी कई ऐसी समस्याऐं और कठिनाईयां हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। पिछले 3 वर्षों से तमिलनाडु ने बाजरा में निवेश किया था और इसका उत्पादन 9 लाख से बढ़कर 29 लाख टन हो चुका है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हो पाया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने किसानों की कठिनाईयों को जाना और उन्हें दूर करने में उनकी सहायता की।

वास्तव में दालों के उत्पादन के लिऐ यह एक कठिन समय है और तमिलनाडु में मूंग और उड़द के दाम रू. 140/– प्रति कि.ग्रा. तक मिले। किसान रू. 140/– का दाम मिलने से खुश हैं और दालों का ही उत्पादन करने पर सहमत हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम उपभोक्ता के लिए यह बहुत महंगा दाम है। इस कारण तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने लगभग रू. 1 करोड़ का व्यय करके मूल्यों को स्थिर रखने के लिऐ इनकी खरीद की, और इनका प्रसंसाधन करके इन्हें बीजों के रूप में बांटा। इस कारण दालों के लिऐ अतिरिक्त मौसम में भी उगाने के अवसर मिले (थाई पत्तमः जनवरी से मार्च, चिट्ठीराय पत्तमः अप्रैल से जून, कुरूवाईः जुलाई से सितंबर)।

दालों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रायः इन्हें अवांछित फसल माना जाता है और इस कारण इन्हें सही उत्पादन आधारित मशीनरी और उपकरण उपलब्ध नहीं हो पाते, यही मुख्य कारण है कि इसका प्रति हैक्टेयर केवल 560 कि.ग्रा. से 700 कि.ग्रा. का उत्पादन मिल पाता है। यदि इस पर संपूर्ण ध्यान दिया जाऐ तो इनका उत्पादन 1200 कि.ग्रा. से 2000 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर तक हो सकता है। 3 वर्ष पहले विल्लूपूरम जिले ने 3000 कि.ग्रा. प्रति एकड़ का उत्पादन किया और भारत सरकार से कृषि करमन पुरस्कार भी प्राप्त किया।

कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाऐ गऐ हैं: जैसे बढ़िया बीज और फस्ल बूस्टर तांकि दालों के लिऐ एक समान फूल प्राप्त किऐ जा सके। यह फसल बूस्टर हार्मोनस भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप डायोमोनियम फॉस्फेट है। यदि हार्मोन उपलब्ध नहीं हैं तो किसान डायोमोनियम फॉस्फेट अपना सकते हैं और जल का छिड़काव कर सकते हैं ताकि दालों का उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक मिल सके। जलवायु के क्षेत्र में भी कई समस्याऐं हैं और इस कारण दालों में पराग रहित अंश की कमी रह जाती है। यदि पराग की क्षमता बढ़ाई जाऐ तो बीजों को उगाने और उनकी फलियों को भरने में भी सकारात्मक वृद्धि होगी। फसल बूस्टर से इन 2 समस्याओं से निपटने में सहायता मिलती है।

वर्तमान में आंध्र–प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है, किंतु वहां एक समस्या है कि प्रशासक विश्वविद्यालयों से आशा करते हैं कि वे इस ज्ञान का न केवल लाभ जल्दी से दें और तुरंत पैसा भी कमाऐं, बल्कि इस प्रौद्योगिकी को मुफ्त में बांटें। उन्हें यह मालूम नहीं है कि एक बार प्रौद्योगिकी विकसित होने के पश्चात इसका पैटेंट कराया जाता है। दूसरी तरफ यदि विश्वविद्यालयों से आशा की जाए की वे धन अर्जित करें तो किसी को भी यह प्रौद्योगिकी निशुल्क नहीं दी जा सकती। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय फसल बूस्टर का उत्पादन करने तथा इसका ब्यौरा बताऐ बिना इसकी आपूर्ति करने पर सहमत है, किंतु केन्द्रीय सरकार और अन्य विश्वविद्यालय इसके संयोजन और निर्माण का ब्यौरा चाहते हैं।

चूंकि एक सार्वजनिक संस्था द्वारा यह प्रौद्योगिकी विकसित की गई है, इस कारण तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय प्रसन्न है कि वह इसे किसानों को निशुल्क दे देगा, किंतु दूसरी तरफ उससे यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती की वह धन अर्जित करे। विश्वविद्यालय इसी दुविधा का सामना कर रहा है। मक्का (सीओ 6) और चावल (सीओ 51) की कुछ किस्मों और कुछ दालों की आपूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम, गुजरात राज्य बीज निगम और कर्नाटका राज्य बीज निगम को निशुल्क की जा चुकी है। यह सभी तो राज्य सरकारों की संस्थाऐं हैं लेकिन प्राईवेट एजेंसियां भी इस प्रौद्योगिकी की मुफ्त में ही देने की मांग कर रही है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने आई.सी.आर.आई.ऐस.ऐ.टी. के समक्ष एक प्रस्ताव रखा की वह हाईब्रिड और ट्रांसजैनिक बीजों की आपूर्ति करे और इस उपलब्ध जानकारी को पूरे देश को दे दे। उड़द का प्रतिरोपण अत्यंत सकारात्मक खोजों में से एक है और इसके लिऐ लगभग 5 लाख हैक्टेयर भूमि पर प्रतिरोपण किया जा रहा है। इस वर्ष 60 दिन में फसल प्राप्त करने के लक्ष्य से फसल उगाई गई है जो मूंग और उड़द के लिऐ पानी उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। पानी की समस्या है और जहां कहीं भी बौर–वैल हैं वहां उड़द और मूंग प्रत्येक की 3 फस्लें उगाई गई हैं जिससे किसान को कम से कम प्रति एकड़ पर रू. 1 लाख का लाभ होगा।

चावल और गन्ने के लिऐ अन्य सुधारात्मक कदम उठाऐ गऐ हैं और यह सुधार बीजों से कटाई तक और सामान्य अवधि में ही फसल पकने तक मशीनीकरण करने के तहत हैं। दालों में मशीनीकरण आरंभ करने के लिऐ फसल आधारित और फस्ल के पक्ष में डिजाईनिंग आवश्यक है। इसी के प्रयास किऐ जा रहे हैं। दालों की बीमारियों का भी उपचार किया जा रहा है। पहली बार मूंग की फली में कोई भी पीला कीड़ा या सूंडी नहीं लगी है। इस बीमारी के कारण मूंग का बहुत कम उत्पादन होता था। यह फसल 50 दिन में पक जाती है और इसकी बुवाई वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में की जा रही है।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार फसल के समकालिक पकने का है। समकालिक पकने वाली फस्लों का लाभ यह है कि किसान एक ही समय में एक से अधिक दालों की कटाई कर सकता है और कटाई पर आने वाली लागत में भी कमी कर सकता है। सामान्यतः दालों के लिऐ बहुमुखी परिश्रम

करना पडता है और इसके लिऐ रू. 250 से रू. 300 प्रति व्यक्ति प्रति दिन देना पडता है। जिस कारण दालों की कटाई का कार्य लाभहीन हो जाता है। किंतु समकालिक या एक समान पकने वाली फस्लें इसमें सहायक सिद्ध होती हैं। मशीनों से फसल की कटाई करने के लिऐ फसल का खड़े होना आवश्यक होता है, अन्यथा कटाई के दौरान ही 20 प्रतिशत तक की हानि उठानी पड़ती है।

गुच्छे बनाने और फलियों की मात्रा भी बढ़ाने के प्रयास किऐ जा रहे हैं। औसतन दालों के पौधों में सामान्यतः 25–30 फलियां होती हैं। इसे बढ़ाकर 52 से 55 फलि प्रति पौधे तक किया जा चुका है। फली में प्रत्येक दाने को भी भरा जाता है और इसके लिऐ अतिरिक्त प्रयास किया जा रहा है। बहुत सी शाखाऐं लगाना संभव है ताकि फलियों की मात्रा बढ़ाई जा सके और इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है।

यह तभी संभव है जब पौधे की अच्छी किस्म चुनी जाऐ और ऐसे प्रर्दशन किऐ जाऐं जिनसे क्यारियाँ ऊँची बनी हों और उचित सिंचाई हो सके। ऐसा करने से किसनों को जनवरी से जुलाई तक की अवधि में 3 फसलें मिल सकती हैं। द्विमासिक फसलों के लिऐ 3 फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। इस प्रकार से भिन्न–भिन्न कदम उठाऐ जा रहे हैं और तमिलनाडु में दालों का उत्पादन सकारात्मक है। यह आस–पास के जिलों और संबंधित कम्पनियों के प्रयास से संभव हो रहा है।

जहां चाह वहां राह, एक गांव की कुटिया से लेकर कार्य आरंभ किऐ गऐ थे। अब यह कार्य केन्द्रीयकृत खरीद, भण्डारण और इसी प्रकार के क्षेत्रों में भी विकसित किऐ जा रहे हैं। किसानों के पास भंडारण सुविधाऐं नहीं हैं, जिस कारण फस्ल के बाद इसे रखने की समस्याऐं उत्पन्न हो रही हैं। अनाज के लिऐ तो किसान घास–फूस का उपयोग कर लेते हैं और यह सामग्री खेतों से ही मिल जाती है, किंतु दालों के लिऐ ऐसा नहीं है। इनके रखने की व्यवस्था खेत की सामग्री से नहीं हो सकती और इसे तो गोदामों में रखना ही पडता है। अतः दालों के भंडारण के लिऐ गोदामों या बड़े–बड़े बर्तन ड्रम खरीदने की आवश्यकता है। यदि ऐसी समस्याओं का समाधान हो जाऐ तो किसान इसका उत्पादन करने में बहुत प्रसन्न होंगे। यह मुद्दा बहुत बडा नहीं है किंतु इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे पाता।

किसान 5 मिलियन मैट्रिक टन की कमी को भरने के लिऐ सहमत हैं, और वे एकल फसल के स्थान पर 2 औद्योगिक फस्लें उगा सकते हैं, जैसे गन्ना और कपास एक आंतरिक फसल (इन्टर क्रॉप) के रूप में। इनकी कटाई 2 महीनों में की जा सकती है और इसके बाद पाँचवे महीने तथा दसवें महीने में। प्रौद्योगिक उपलब्ध है और किसान इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर ले सकते हैं। योजना बनाने वाले और सरकार ने किसानों से वार्तालाप आरंभ कर दिया है और इस वार्तालाप से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होना चाहिऐ।